न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/01/2019 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक 07.01.2019

उनवान

1. रामलाल पिता मोडा जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. कालु पिता उदयराम जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. नन्दराम पिता टोलु जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. किशोर पिता टोलु जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. काशीराम पिता टोलु जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. रामेश्वर पिता टोलु जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. शंकर पिता लखमा जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. किशन पिता हीरा जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. देवजी पिता मोती जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. कालु पिता हीरा जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. लेहरू पिता नारायण जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. सीताराम पिता हजारी जाति जाट निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. नारायण पिता रामचन्द्र जाति लौहार निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. पन्नालाल पिता रामचन्द्र जाति लौहार निवासी कोलपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 14.05.2019

—:निर्णय:—

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पतथरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा कोलपुरा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन की खाता संख्या 256 में स्थित आराजी संख्या 526, 534, 535, 536, 983, कुल किता 5 तथा खाता संख्या 81 में स्थित आराजी संख्या 515 कुल किता 1 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय–दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा के पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर–बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरूद्व एक–तरफा कार्यवाही

Scanned by CamScanner

अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन को संबंधित प्रकरण में 500/– रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा कोलपुरा पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन की खाता संख्या 256 में स्थित आराजी संख्या 526, 534, 535, 536, 983, कुल किता 5 तथा खाता संख्या 81 में स्थित आराजी संख्या 515 कुल किता 1 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner